संख्या-3ए-2-वे०पु०-(भत्ता)-08/2013-..........7829............/वि0

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-**24.10.2018**

विषय:- **पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01/07/2018 के प्रभाव से 7 प्रतिशत के स्थान पर 9 प्रतिशत महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।**

वित्त विभाग के संकल्प सं०-3250, दिनांक-04/05/2018 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/01/2018 के प्रभाव से 7 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०- 1/2/2018-E-II(B) दिनांक-07/09/2018 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01/07/2018 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि-

(i) पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/07/2018 के प्रभाव से 7 प्रतिशत के स्थान पर 9 प्रतिशत मंहगाई राहत की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

(ii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महंगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा।

(iii) महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(iv) उपर्युक्त महंगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।

(v) उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों के मामले में उक्त मंहगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना /अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

5. पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

6. पेंशनभोगियों को इस महंगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें । बिहार राज्य के बाहर महंगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

7. दिनांक-01/07/2018 के प्रभाव से स्वीकृत महंगाई राहत भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि की शुद्धता की जांच हर हाल में प्रत्येक भुगतान के समय कर ली जाय। ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- **7829/वि०** पटना, दिनांक:-**24.10.2018**

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- **7829/वि०** पटना, दिनांक:-**24.10.2018**

प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

5. पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

6. पेंशनभोगियों को इस महंगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें । बिहार राज्य के बाहर महंगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

7. दिनांक-01/07/2018 के प्रभाव से स्वीकृत महंगाई राहत भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि की शुद्धता की जांच हर हाल में प्रत्येक भुगतान के समय कर ली जाय। ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- **7829/वि०** पटना, दिनांक:-**24.10.2018**

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- **7829/वि०** पटना, दिनांक:-**24.10.2018**

प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

बिहार सरकार
कृषि विभाग

ज्ञापांक–3/कृ०–बजट–विविध– 85/2015 3980 /कृ०, पटना, दिनांकः –22–11– 2018

Fax/Mail

प्रतिलिपि :–कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान/निदेशक भूमि संरक्षण/निदेशक बामेति/निदेशक पी०पी०एम०/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी/सभी संयुक्त निदेशक (शष्य)/नियंत्रक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर/सभी जिला कृषि पदाधिकारी।/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी /सभी सहायक निदेशक (शष्य) बीज बीश्लेषण प्रयोगशाला/सभी उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र/उप निदेशक (शष्य) शिक्षा, बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) बीज निरिक्षण बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) तेलहन बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) सूचना बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) पाट कृषि निदेशालय बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट बिहार, पूर्णियाँ/ अपर निदेशक (शष्य) कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण)/ सभी सहायक निदेशक, (पौधा संरक्षण)/ सभी उप निदेशक (पौधा संरक्षण)/ संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण)/उप निदेशक (रसायन) कम्पोष्ट बिहार, पटना/सभी सहायक निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला/प्रशासी–सह–लेखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि विभाग/कृषि निदेशालय/मुख्य लेखा पदाधिकारी कृषि विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय संकल्प संख्याः–3ए–2–वे०पु०–(भत्ता)–08/2013–7829/वि० दिनांक–24.10.2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

(प्रभु राम) 21/11/18

निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 3980 /कृ०, पटना, दिनांकः –22–11– 2018

प्रतिलिपि :– उप निदेशक (शष्य) सूचना/आई–टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल भेजने हेतु प्रेषित।

21/11/18

निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\year -2014\feb 2015\22-10-2014.docx